बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–16599 दिनांक–21.10.13 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–381 दिनांक–25.02.14 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में स्नातक स्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत शिक्षकों को नियोजित करते हुए विभिन्न आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश में यह प्रावधान था कि सेवानिृवत शिक्षकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होनेवाले अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही रहेगी लेकिन विभागीय आदेश संख्या–381 दिनांक–25.02.14 द्वारा कतिपय वैसे सेवानिवृत शिक्षक नियोजित हो गये, जिनकी सेवा पेंशन प्रदायी नही थी। फलतः उनके मानदेय वेतन भुगतान में कठिनाई हो रही है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में समयक विचारोपरांत विभागीय आदेश संख्या–381 दिनांक–25.02.14 द्वारा वैसे नियोजित शिक्षक, जिनकी सेवा पेंशन प्रदायी नही है, उन्हें आदेश निर्गत की तिथि से सेवामुक्त किया जाता है। साथ हीं इनके कार्य अवधि का मानदेय रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) प्रतिमाह के दर से भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

2– प्रस्ताव में प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–पि०व०/स्था०–15–108/2013– 483 पटना, दिनांक– 23.2.2015

प्रतिलिपि– सभी संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/2/15
सरकार के उप सचिव।

Office Order(Harry)